IT/1791 8.8.17

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

वित्त (नियम) विभाग

क्रमांकःएफ4/मु./वित्त/नियम/172/ 2017/4021 दिनांकः 04.08.2017

परिपत्र

समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि रा0रा0प0प0निगम कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान विनियम, 2008 के अन्तर्गत ग्रेड पे रू0 1750/–, रू0 1900/–, रू0 2000/–, रू0 2400/–,रू0 2800/– एवं रू0 4800/– में सीधी भर्ती से नियुक्त जिन कर्मचारियों का दिनांक 01.07.2013 या इसके पश्चात् प्रारम्भिक वेतन दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी अनुसूची v के अनुसार निर्धारित किया गया है उन कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2017 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेशों तक स्थगित रखते हुए माह जुलाई 2017 का वेतन भुगतान किया जावें । यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त ग्रेड पे के कतिपय कर्मचारियों को यदि दिनांक 01.07.2017 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है तो उनकी स्वीकृत वार्षिक वेतन वृद्धि को स्थगित करते हुए वेतन बिल संशोधित कर माह जुलाई 2017 के वेतन का भुगतान किया जावें ।

संलग्न:- राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.15(8)वित्त/नियम/2013 पार्ट-II दिनांक 28.07.2017.

(कुलदीप रांका)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः–एफ–4/वित्त/नियम/172/2017/4021 दिनांक 04.08.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक रारापप निगम मु0 जयपुर ।
2– कार्यकारी निदेशक ( ) रारापप निगम मु0 जयपुर ।
3– महा प्रबन्धक ( ) रारापप निगम मु0 जयपुर ।
4– उप महा प्रबन्धक ( )/ कार्यकारी प्रबन्धक( ) रापनि0 मु0 जयपुर
5– उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर डाउन लोड करावें ।
6– निगम सचिव, राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर
7– मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0 ––––––––––
8– लेखाधिकारी ( ) रारापप निगम मु0 जयपुर ।
9– मुख्य प्रबन्धक /प्रबन्धक (वित्त) रारापप निगम ––––––––––
10– सहायक लेखाधिकारी ( ) रारापप निगम मु0 जयपुर ।
11– रक्षित पत्रावली ।

(परमेश्वरी चौधरी)
वित्तीय सलाहकार